I परिप्रेक्ष्य

विश्व भर में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण, मौद्रिक नीति के एक साथ सख़्त होने और वृद्धि के प्रति बने हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से उत्पन्न प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वर्तमान में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बेहतर आस्ति गुणवत्ता ओर सुदृढ़ पूँजी बफ़र के साथ मजबूत और प्रत्यास्थी (रेजिलिएंट) बना हुआ है, फिर भी, नीति निर्माता गतिमान रूप से उभरती उन समष्टि आर्थिक स्थितियों को लेकर सजग हैं जो विनियमित संस्थाओं के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक का ध्यान इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ संभावित प्रणालीगत जोख़िमों को रोकने पर बना रहेगा।

I.1 2022 में, मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण, ऊर्जा एवं खाद्य की कमी और दुनिया भर में मौद्रिक नीति के एक साथ सख्त होने से, वैश्विक वृद्धि और व्यापार के लिए परिदृश्य बिगड़ रहा है। पूँजी बहिर्गमन, मुद्रा मूल्यह्रास और आरक्षित निधि में क्षय के मिश्रण ने उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए संभावनाओं को बदतर किया है जिससे उनकी वित्तीय प्रणालियों को अधिक अनिश्चितताओं और अधोगामी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय स्थितियां तंग हो गई हैं, तथापि हाल में मुद्रास्फीति के शिखर पर आ चुके होने से जुड़ी प्रत्याशाओं से मनोभावों में सुधार हुआ है। यद्यपि वैश्विक बैंक मजबूत दिखते हैं, लेकिन कमजोर वृद्धि के साथ बढ़ते ब्याज दर के माहौल में आस्ति गुणवत्ता दबाव में आ सकती है। जैसे-जैसे प्रतिफल बढ़ेगा, बैंकों को अपने निवेश संविभाग पर मार्क-टू-मार्केट (एमटूएम) का खर्च उठाना पड़ सकता है और उच्चतर प्रावधानीकरण अपेक्षाएं उनकी लाभप्रदता पर चोट पहुँचा सकती हैं।

I.2 इस अत्यंत अनिश्चित वैश्विक परिवेश में, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मूलभूत समष्टि-आर्थिक आधार पर वृद्धि वेग के क्रमश: बलवान होने के संकेत दे रही है। 2021-22 और 2022-23 में भी अब तक ऋण की पुष्ट मांग के दम पर भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के तुलनपत्रों ने मजबूती से विस्तार प्राप्त किया है। उनकी आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता सुधरी है जबकि कम गिरावट और ऊँचे पूँजी बफ़र बैंकों में निवेशक विश्वास को दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं।

I.3 कोविड – 19 के कमजोर पड़ने के साथ 2021-22 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र के लाभ सुधरे। मजबूत पूँजी बफ़र, यथोचित प्रावधान और पर्याप्त तरलता से युक्त एनबीएफसी विस्तार के लिए तैयार हैं। फिर भी, आगे चलकर, तंग वित्तीय स्थितियों के मद्देनज़र एनबीएफसी को उधार की बढ़ती लागतों को लेकर सावधान रहना होगा। विनियामकीय मोर्चे पर, आकार आधारित (स्केल बेस्ड) विनियमन से इस क्षेत्र में स्वाभाविक सावयव समेकन (ऑर्गेनिक कॉन्सॉलिडेशन) के बढ़ते दायरे के साथ एनबीएफसी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

I.4 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के सम्मुख आई चुनौतियों तथा आगे की राह पर एक विहंगम दृष्टि डालता है।

बैंक लाभप्रदता पर बढ़ती ब्याज दरों का प्रभाव

I.5 बढ़ती ब्याज दरों के परिवेश में, निकट भविष्य में बैंकों की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वृद्धि की प्रत्याशा की जा सकती है, जो जमाराशि दरों की तुलना में उधार की दरों में बेहतर संचरण का द्योतक होगा। दूसरी ओर, उच्च प्रतिफल से बैंकों के लिए उनके ट्रेज़री निवेश पर एमटीएम हानि की संभावना

बनती है, जिससे उनकी ब्याजेतर आय कम हो जाती है। एससीबी की लाभप्रदता पर बढ़ते प्रतिफल का असर परिपक्वता तक धारित संविभाग (एचटीएम पोर्टफोलियो) के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में वृद्धि के कारण कुछ हद तक कम हुआ है।[1] असर को कम करने वाला एक और कारक है निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) जिसे 2018 में शुरू किया गया था। संशोधित अवधि पर चुनिंदा बैंकों के सितंबर 2022 के अंत के आँकड़ों ने दर्शाया कि, यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें, तो प्रतिफल में वृद्धि से होने वाली एमटीएम क्षतियों हेतु आवश्यक प्रावधान करने के बाद भी बैंक पर्याप्त पूँजीकृत रहेंगे।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

I.6 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का अधिनियमन भारत में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रतिमानों में ध्रुवीय परिवर्तन था। तथापि हाल के वर्षों में, इस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत दावों की तुलना में वसूली की दरों में गिरावट चिंता का कारण बनी है।[2] वसूली दर समग्र समष्टि आर्थिक परिवेश, इकाई और उसके क्षेत्र की विकास संभावनाओं के बारे में अवधारणा, और उस इकाई के आंतरिक मूल्य में क्षरण की सीमा सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। बहाली के व्यापक आधार पर पैर जमाने से, वित्तीय समाधान हेतु इन कारकों के अनुकूल होने की संभावना है।

I.7 आईबीसी जैसे सावर्जनिक नीलामी आधारित समाधान मॉडल में, हेयरकट की सीमा उस छूट (डिस्काउंट) को दर्शाती है जिसकी मांग बाजार दबावग्रस्त इकाई को एक कार्यशील संस्था के रूप में अधिगृहित करने के लिए करता है। चूँकि इन आस्तियों में पहले ही मूल्य नाश काफी हो गया होगा, तो संभव है कि स्वीकृत दावों की अर्जित मूल्य से तुलना इस समाधान प्रक्रिया के प्रभावी होने का समुचित संकेतक न हो। बल्कि, समाधान मूल्य की तुलना दबावग्रस्त आस्तियों के परिसमापन मूल्य से की जा सकती है। आँकड़े बताते हैं कि सितंबर 2022 के अंत की स्थिति के अनुसार उन मामलों में जहाँ वित्तीय लेनदारों (एफसी) ने कॉरपोरेट दिवाला और समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ की, वहाँ आईबीसी के जरिये वसूली परिसमापन मूल्य के 201 प्रतिशत के आस-पास रही।

I.8 आईबीसी ढाँचे में समाधान आवेदन को स्वीकार करने के साथ-साथ अंतिम समाधान और परिसमापन में लगने वाला समय लगातार बढ़ा है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने हाल में सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किए जिनका उद्देश्य अर्जित मूल्य में सुधार करना, प्रक्रिया में विलंब को कम करना, उपलब्ध समय की कार्य-क्षमता को बढ़ाना और सूचना उपलब्धता में सुधार करना है। आईबीसी विनियमों में एक अन्य संशोधन द्वारा दिवाला पेशेवरों/व्यावसायिकों (प्रोफेशनल्स) के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों की शुरुआत की गई है जिससे दबावग्रस्त आस्तियों के प्राप्त मूल्य को उनके परिसमापन मूल्य के परे अधिकाधिक बढ़ाने तथा समय से उनके समाधान में सहायता मिलनी चाहिए।

I.9 पहले से तैयार दिवाला समाधान प्रक्रिया में कोर्ट से बाहर के समाधान प्रयासों और समाधान योजना के न्यायिक समापन के सर्वोत्तम पक्षों का मिश्रण है। यह व्यवस्था, जो केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उधारकर्ताओं के लिए है, बढ़ाकर यदि सभी उधारकर्ताओं के लिए कर दी जाए तो रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण ढाँचे का प्रभावी पूरक हो सकती है। भारत में ऋण संविदाओं (क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स) में प्राय: प्रति-दायित्व और उधारकर्ता की मूल कंपनी व समूह कंपनियों द्वारा प्रदत्त ऋण जोख़िम कम करने वाले कवच (कवर) शामिल होते

[1] अक्टूबर 2020 में, बैंकों को (पहले के 19.5 प्रतिशत के बजाय) एनडीटीएल के 22 प्रतिशत की समग्र सीमा तक एचटीएम सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, जिससे बैंकों के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की गुंजाइश बढ़ी। अप्रैल 2022 में इस सीमा को और बढ़ाकर 23 प्रतिशत किया गया। यह व्यवस्था 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध कराई गई थी, जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। एचटीएम सीमा को, 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए, चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक बहाल किया जाएगा।

[2] 30 सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, उन मामलों में वसूली कुल दावों का 33 प्रतिशत थी जहाँ सीआईआरपी की शुरुआत एफसी द्वारा की गई थी।

हैं। ऐसी प्रणाली में एक उधारकर्ता की चूक के चलते समूह कंपनियों द्वारा प्रति-चूकों की धारा फूटने की संभावना है जिससे वित्तीय प्रणाली के लिए समग्र रूप से ऋण जोख़िम बढ़ जाता है। एक समूह समाधान ढाँचा जिसमें एक ही कॉरपोरेट समूह से संबंधित उधारकर्ताओं के समाधान को यदि एक साथ लिया जाए तो संभव है कि यह आईबीसी के प्रभाव को बेहतर करने में सहायक हो।

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

I.10 सितंबर 2021 में रिज़र्व बैंक ने मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए संशोधित ढाँचा जारी किया जिसमें न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण संबंधी अपेक्षाओं को सरल किया गया जबकि प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों हेतु पूँजीगत अपेक्षाओं का बासेल III मानकों से समंजन किया गया। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी /एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रतिभूतिकरण की अनुमति लाइसेंस प्राप्त आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को है। दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए रिज़र्व बैंक एआरसी मार्ग के अतिरिक्त एक ढाँचा लाना चाहता है जो मानक आस्तियों हेतु संशोधित ढाँचे जैसा होगा। सितंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार, एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी कर बाजार सहभागियों की टिप्पणी ली जाएगी।

निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

I.11 निवेश के मूल्यांकन के लिए वर्तमान दिशानिर्देश लगभग दो दशक पहले जारी किए गए थे। तब से, आकार और जटिलता में घरेलू वित्तीय बाजार कई गुना बढ़ गए हैं और इसलिए इनकी व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर एक डीपी जारी किया। प्रस्तावित ढाँचे का उद्देश्य बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के साथ-साथ बढ़े हुए प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को दूर करना है। इसके प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्य लाभ और हानियों का सममित निर्धारण, निवेश पोर्टफोलियो पर विभिन्न प्रतिबंधों को हटाना जैसे एचटीएम में निवेश की सीमा और एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों को एचटीएम बुक के तहत शामिल करने की अनुमति शामिल हैं। हितधारकों से प्राप्त राय के आधार पर जाँचे जा रहे प्रस्तावित दिशानिर्देश, बैंकों की स्वतंत्रता को बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देंगे।

प्रत्याशित ऋण हानि संबंधी ढाँचा

I.12 वर्तमान में भारत में बैंकों को उपगत (उठाई गई) हानि (इन्कर्ड लॉस) मॉडल के आधार पर ऋण हानि प्रावधान करना होता है जिसमें चूक होने के बाद प्रावधान किए जाते हैं। प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल नामक संशोधित पद्धति में ऋण संस्था को ऋण हानि के भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर प्रावधान करने हैं। अपने बैंकिंग समकक्षों के विपरीत, भारत में कुछ एनबीएफसी [3] ईसीएल पद्धति अपनाते हैं। बैंकों के लिए ईसीएल ढाँचे पर रिज़र्व बैंक की प्रस्तावित डीपी, सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेगी जिसमें विनियामकीय अवलंब, आवश्यकतानुसार, पूरक का कार्य करेंगे।

बैंक स्वामित्व

I.13 भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से विलय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के समेकन को आगे बढ़ा रही है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने दो पीएसबी के निजीकरण की मंशा की घोषणा की। कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के साथ-साथ प्रबंधकीय और परिचालनीय लचीलेपन

[3] कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 4 द्वारा कवर की गई एनबीएफसी।

पर पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। आने वाले समय में यह पीएसबी और पीवीबी दोनों के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने और फूलने-फलने की अपेक्षित अपेक्षित गुंजाइश बनाएगा।

विनियामकीय परीक्षण स्थल

I.14 रिज़र्व बैंक ने 2019 में विनियामकीय परीक्षण स्थल (आरएस) की अवधारणा प्रस्तुत की ताकि नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं या कारोबार मॉडलों का सामान्यत: लाइव परंतु कुछ रक्षा-उपायों और निगरानी वाले नियंत्रित परिवेश में परीक्षण किया जा सके। अब तक घोषित आरएस वर्ग (कोहॉर्ट) के थीमों में 'खुदरा भुगतान', 'सीमापार भुगतान', 'एमएसएमई उधार' और 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और इसमें कमी' शामिल हैं। अब तक छह इकाइयां प्रथम वर्ग से एवं चार इकाइयां द्वितीय वर्ग से सफलतापूर्वक निकल चुकी हैं। तृतीय कोहार्ट के अंतर्गत चुनी गई इकाइयों का परीक्षण चल रहा है और चौथे वर्ग (कोहार्ट) के तहत परीक्षण चरण हेतु इकाइयों को चुनने के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आरएस के तहत पाँचवें कोहार्ट को विषय तटस्थ (थीम न्यूट्रल) घोषित किया गया है जिसमें रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों से संबंधित नवोन्मेषी उत्पाद/ सेवाएं/प्रौद्योगिकी आवेदन कर सकते हैं। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर, आरएस हेतु सक्षमकारी ढाँचे में बदलाव किए गए हैं ताकि इसे अधिक व्यापक और नवोन्मेष के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अलावा, बंद वर्गों के विषयों के लिए आरएस में 'सदा सुलभ' ('ऑन टैप') एप्लिकेशन सुविधा शुरू की गई है ताकि निरंतर नवोन्मेष सुनिश्चित हो।

परोक्ष निगरानी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

I.15 अपनी परोक्ष निगरानी प्रणाली (ऑफ़-साइट मॉनिटरिंग सिस्टम) को पहले से तेज, अधिक व्यापक और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने में रिज़र्व बैंक सक्रियता से लगा रहा है। इस संबंध में एक प्रमुख पहल थी उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली – दक्ष (डीएकेएसएच) – की शुरुआत, जो पर्यवेक्षी कार्य प्रक्रियाओं के और आगे डिजटलीकरण के लिए एक पूर्णत: कार्यरत प्लेटफ़ॉर्म है। इस कड़ी में अन्य प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं: (ए) विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा स्वचालित डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी साधनों के रूप में केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन; (बी) पर्यवेक्षी आसूचना (सुपरवाइज़री इन्टेलिजेंस) के पूरक के रूप में बिग डेटा का प्रयोग (सी) साइबर रेंज – साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए प्रयुक्त एक वर्चुअल नियंत्रित परिवेश और साधन – का कार्यान्वयन; (डी) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी संवेद्यता सूचकांक[4] डैशबोर्ड का विकास; और (ई) सभी पर्यवेक्षित इकाइयों की अपने-ग्राहक-को-जानिए (केवाईसी) और धन-शोधन निवारण (एएमएल) ढाँचे के लिए जोखिम आधारित पद्धति का मानकीकरण/ इष्टतमीकरण। क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता प्राप्त कार्यबल के विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है।

विशिष्ट बैंकिंग

I.16 छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) ने जहाँ वित्तीय समावेश में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुछ पीबी अभी भी लाभ-अलाभ की स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी आधारित कारोबार मॉडल अब केवल इन्हीं की विशिष्टता नहीं रह गई है, लगभग सभी बैंक वित्तीय सेवाओं व उत्पादों की डिलिवरी को बेहतर करने व विस्तार देने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयासों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना से बल मिला है। इस पृष्ठभूमि में, कुछ वर्गों में विशिष्ट (डिफ़रेंशिएटेड) बैंकिंग मॉडलों की व्यवहार्यता और इसकी निरंतरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि उनके कारोबारी

[4] वर्तमान में धोखाधड़ी संवेद्यता सूचकांक को बैंकों में संवेद्यता का पता लगाने के लिए बनाया गया है। आगे चलकर, सूचकांक का दायरा बढ़ाकर इसमें अन्य एसई को भी शामिल किया जा सकता है।

मॉडल पर्याप्त मजबूत हों तथा अच्छे अभिशासन और प्रौद्योगिकी मानकों का पालन हो ताकि प्रतिस्पर्धा के परिवेश में वे बचे रह सकें।

भुगतान और निपटान प्रणाली

I.17 रिज़र्व बैंक द्वारा हाल में किए गए अग्रसक्रिय उपायों ने भुगतान और निपटान परितंत्र में क्रांति ला दी है, उपभोक्ता अनुभव को बेहतर किया है, डिजिटल पहुँच को गहरा किया है और वित्तीय समावेश में सहायता की है। यूपीआई123 पे शुरू होने से देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) की सुविधा मिली है। इसके अलावा, यूपीआई लाइट ने ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के लेनदेन की सुविधा दी है। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) से पात्र आर्थिक सहायता (सब्सिडी) राशि को बढ़ाया गया था और भुगतान स्वीकृति टचपॉइंट लगाने को और अधिक गति देने के लिए सब्सिडी दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया। रिज़र्व बैंक ने रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषण (रेमिटेंसेस) को कुछ शर्तों के अधीन भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से बिलर (लाभार्थी) के केवाईसी अनुपालित बैंक खाते में अंतरित करने की अनुमति दी। इससे भारत में अपने परिवारों की ओर से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिलों के भुगतान की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यूपीआई के उपयोग से क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) आधारित व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान भूटान, सिंगापुर और यूएई में शुरू किए गए हैं। भुगतान प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजीसाथी हेल्पलाइन की स्थापना की गई। बारंबार होने वाले लेनदेन के लिए ई-मेंडेट सीमा में वृद्धि और कार्ड टोकनीकरण (टोकनाइजेशन) ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को और मजबूती दी।

I.18 एक सक्षम भुगतान प्रणाली में अपेक्षित है कि फ़ीस का निर्धारण समुचित हो ताकि उपयोगकर्ताओं को अभिष्ट लागत एवं परिचालकों को प्रतिलाभ सुनिश्चित हो। अगस्त 2022 में, रिज़र्व बैंक ने एक चर्चा पत्र (डीपी) का प्रकाशन किया जिसमें भुगतान प्रणालियों में प्रभार संबंधी मौजूदा नियम बताए गए थे और साथ ही, अन्य विकल्प भी प्रस्तुत किए गए थे जिनके माध्यम से इस तरह के प्रभार लगाए जा सकते हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों का स्वरूप बनाने और देश में विभिन्न भुगतान सेवाओं व गतिविधियों हेतु प्रभारों के ढाँचे को सुव्यवस्थित करने में प्रयासरत है। इससे भारत के पास एक ऐसी अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली सुनिश्चित होगी जो न केवल संरक्षित (सेफ़), सुरक्षित (सेक्योर), सक्षम और तेज बल्कि किफ़ायती भी हो।

फिनटेक

I.19 भारत में, पारंपरिक उधारदाताओं के साथ ऋण वितरण में साझेदारी, विशेषत: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, फिनटेक की सर्वाधिक परिवर्तनकारी भूमिकाओं में से एक हो सकती है। वर्तमान ऋण वितरण व्यवस्थाएं अधिकांशत: दस्तावेज आधारित हैं, जिसमें काम होने में काफी समय लगता है और बैंक शाखा के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें उधारदाताओं को उच्च परिचालन लागत और उधारकर्ताओं को विकल्प लागत झेलनी पड़ती है। इन चुनौतियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक और रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) ने मिलकर कृषि-वित्त के डिजिटलीकरण की संकल्पना की। यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों को पूर्णत: डिजिटल और झंझट-मुक्त तरीके से वितरित करना संभव बनाएगा। नए केसीसी ऋणों के साथ-साथ प्रति उधारकर्ता एक सीमा तक ऐसे ऋणों का नवीकरण करने के लिए इस नवोन्मेष पर आधारित एक प्रायोगिक परियोजना मध्यप्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक का विज़न एक एकीकृत और मानकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण और परिचालन है जिससे ग्रामीण और कृषि ऋण पर विशेष जोर देते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान की जा सके।

साइबर सुरक्षा जोखिम

I.20 डिजिटल भुगतान की अत्यधिक वृद्धि और वित्तीय परितंत्र के डिजिटलीकरण के विस्तार के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से, साइबर हमलों के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा और कार्मिकों के निरंतर कौशल-उन्नयन की सख्त जरूरत है। निरंतर ज्ञानार्जन और दूसरों से आगे रहना महत्वपूर्ण होगा।

I.21 रिज़र्व बैंक, पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को नई सुरक्षा चुनौतियों और साइबर खतरों से अवगत रखने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठा रहा है। आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जून 2022 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी मसौदा मास्टर निदेश (एमडी) को प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एक समेकित और अद्यतन आईटी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढाँचा प्रदान करने वाला एक मसौदा मास्टर निदेश (ड्राफ़्ट एमडी) सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2022 में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन और हरित वित्त

I.22 जलवायु परिवर्तन के कारण भौतिक और संक्रमण दोनों जोखिम हो सकते हैं जिनके प्रभाव किसी भी आरई की निरंतरता और वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकते हैं। आरई को अपनी कारोबारी रणनीतियों और परिचालन में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संभावित प्रभाव को समझने और आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने एवं कार्यान्वित करने की जरूरत है। इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और उनसे निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त अभिशासन संरचनाओं तथा रणनीतिक ढाँचों की आवश्यकता होगी। आरई को अपने कर्मचारियों की उपयुक्त क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 में जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक डीपी जारी किया। डीपी में आरई को अपनी कारोबारी रणनीतियों के साथ-साथ अपने अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढाँचे में भी जलवायु व पर्यावरण संबंधी जोखिमों को शामिल करने की सिफारिश की गई। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, आरई को जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए एक भविष्योन्मुखी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के दिशा-निर्देश दिए गए।

I.23 धारणीय वित्त वर्गीकरणों (टैक्सोनॉमी) का उद्देश्य निवेशकों को यह समझने में मदद करना है कि कोई आर्थिक गतिविधि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है या नहीं, और अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में सहायता करना है। इस तरह का वर्गीकरण स्थायी वित्त निधियों को भारत की ओर मोड़ने और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे धारणीय वित्त प्रवाहों का पता लगाना (ट्रैकिंग) भी अधिक आसान होगा। वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) विकसित करने के लिए सरकार के नेतृत्व में हितधारकों की ओर से समन्वित प्रयास अपेक्षित होंगे।

I.24 हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना या ग्रीन बॉन्ड जारी करके उनका पुनर्वित्तपोषण करना कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक दृढ़ संकेत देता है। 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार में ₹16,000 करोड़ के सरकारी हरित (सॉवरिन ग्रीन) बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। ये उधार वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के समग्र बाजार उधार का हिस्सा होंगे और प्राप्त राशि को हरित सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में विनियोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने 09 नवंबर, 2022 को सरकारी हरित बॉन्ड ढाँचा (सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क) प्रकाशित किया है। इसके अलावा, नॉर्वे स्थित एक स्वतंत्र और विश्व प्रसिद्ध द्वितीय पक्ष विचार (एसपीओ) प्रदाता- सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च (सीआईसीईआरओ) - को ढाँचे का मूल्यांकन करने और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए) के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसके सामंजस्य को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने 'अच्छे' अभिशासन स्कोर के साथ ढाँचे को 'मध्यम हरित' (मीडियम ग्रीन) के रूप में रेट किया।

I.25 कुल मिलाकर, भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों ने कई आघातों के प्रति प्रत्यास्थता (रेजिलिएंस) प्रदर्शित की है, अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए महामारी के बाद के सार्वजनिक नीतिगत उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है, और व्यापक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली को अवलंब प्रदान करते हुए वित्तीय सुदृढ़ता को संरक्षित किया है। जहां वित्त के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों की वर्तमान लहर और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चौदह उद्योगों को घरेलू समर्थन और आपूर्ति शृंखलाओं के वैश्विक पुनर्संतुलन से उत्पन्न होने वाले वृद्धि के नवीन अवसर नए कारोबार के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वहीं तकनीकजनित जटिल नेटवर्क, वैकल्पिक वित्त विकल्प और भू-राजनीतिक घटनाक्रम से उभरते जोखिमों के प्रति सजग रहना महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक की विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियां वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए गतिशील, सुदृढ़, प्रत्यास्थी (रेजिलिएंट) और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी।